

हरियाणा सिविल सचिवालय
सचिवालय स्थापना संगठन
नोटिस

प्रायः कार्यालय के नोटिस में आया है कि हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी नियमित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा अनुबंध आधार पर कार्यरत सेवादार बिना वर्दी के कार्यालय में आते हैं, जबकि उनको पहले भी कई बार वर्दी पहन कर कार्यालय में हाजिर होने बारे निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, जो उनकी अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

अतः हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों व अनुबंध आधार पर लगे सभी सेवादारों को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि वे दिनांक 28.07.2021 से पूरी वर्दी पहन कर ही कार्यालय में उपस्थित हों, यदि वह वर्दी पहनकर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक, चण्डीगढ़
27 जुलाई, 2021

देवेन्द्र कपिल
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
सचिवालय स्थापना।

पृ0क0 19/48/2014-4स्था0-आ,

दिनांक:-27.07.2021

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि वे उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यालय में पूरी वर्दी पहन कर ही उपस्थित होने बारे निर्देश देवें यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी पहन कर नहीं आता अर्थात् सरकार के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसकी रिपोर्ट स्थापना-III शाखा को अविलम्ब भिजवाएं ताकि कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सके:-

1. मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री हरियाणा, सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव।
2. हरियाणा सिविल सचिवालय के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विशेष सचिवों, संयुक्त सचिवों के निजि सचिव/निजि सहायक।
3. विशेष वरिष्ठ सचिव/सी0पी0एस0सी0एम, विशेष वरिष्ठ सचिव/पी0एस0सी0एम, निजि सचिव ए0पी0एस0सी0एम, निजि सचिव/डी0पी0एस0सी0एम, निजि सचिव, ओ0एस0डी/सी0एम, प्रधान सचिव/ओ0एस0डी, राजनितिक सचिव/सी0एम।
4. संयुक्त सचिव/उप सचिव /अवर सचिव के निजि सहायक/स्टैनोज।
5. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी/उपाधीक्षक/शाखाध्यक्ष/पुस्तकालयध्यक्ष/स्थानीय सहायक/प्रशासकीय अधिकारी/परिचालन सहायक।
6. प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग।
8. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।
9. लोकायुक्त, हरियाणा।
10. डी0ए0/मुख्य सचिव, हरियाणा।

अधीक्षक स्थापना-III,

कृते: संयुक्त सचिव सचिव, हरियाणा सरकार,

सचिवालय स्थापना, 27/7/21